# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 389/2018
CMS NO. : 2018/00242

–: प्रार्थीगण :–

1. गटूड़ी देवी उर्फ गटूदेवी पत्नी रामाराम उर्फ रामलाल
2. सुखीदेवी पत्नी घेवरराम
3. रामाराम उर्फ रामलाल पुत्र राजीराम जातियान– कुमावट, निवासीगण– बेरा भादवा ग्राम निमाज, तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. मालाराम पुत्र घीसाराम
2. मांगीलाल पुत्र आदूराम
3. मूलाराम पुत्र घीसाराम
4. सुखड़ी पत्नी पेमाराम
5. राजूराम पुत्र आदूराम
6. अणदाराम पुत्र मोटाराम
7. तेजाराम पुत्र मोटाराम
8. देवाराम पुत्र मोटाराम
9. शंकरराम पुत्र मोटाराम
10. तुलसाराम पुत्र मोटाराम
11. शेषाराम पुत्र ढ्गलाराम
12. गुमनाराम पुत्र ओखाराम
13. गेपरराम पुत्र ओखाराम
14. ढ्गलाराम पुत्र ओखाराम
15. गंगादेवी पत्नी आदूराम
    जातियान– कुमावत, निवासीगण– आकेली रोड़, बेरा सांखलों की बावड़ी ग्राम निमाज, तहसील– जैतारण, जिला पाली(राज0)
16. गंगादेवी पत्नी बालूराम
17. केसाराम पुत्र हापूराम
18. रमेश पुत्र हापूराम
19. चम्पादेवी पत्नी हापूराम
20. चन्द्राराम पुत्र गोपूराम
21. सुखाराम पुत्र धन्नाराम
    जातियान– कुमावत, निवासीगण– बेरा भादवा, निमाज, तहसील–जैतारण, जिला– पाली राज.।
22. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख रज: 11/07/2018

उपस्थित:– 1. श्री सुरेश चौधरी, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 31/03/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 1607 रकबा 05-14 बीघा, खसरा नम्बर 1607/1 रकबा 5-00 बीघा व खसरा नम्बर 1607/2 रकबा 02-00 बीघा कुल खसरा 03 कबा 12-14 बीघा की खातेदारी भूमि एवं प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 से व प्रार्थीगण संख्या 16 से 21 की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि बसरा नम्बर 1606 रकबा 11-10 बीघा राजस्व मौजा निमाज द्वितीय पटवार हल्का नेमाज द्वितीय जैतारण में आई हुई है। जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 16 से 21 रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि आपसी सहमति से मौके पर लग अलग बंटी हुई है। इसी माफिक प्रार्थीगण खातेदार अपनी अपनी हक हिस्से गी भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे। नकल चालू जमाबंदी साथ पेश है। उक्त पूमि खसरा नम्बर 1606 व 1607 व इसके पड़ौस में स्थित भूमि खसरा नम्बर 608 का वक्त सेट्लमेन्ट के समय ही अलग अलग तरमीम होकर के अलग अलग बाते है जो मौके पर नाप चौप व सीमा चिन्ह स्थापित किये हुये थे जिसके नक्शा स व चालू जामबन्दी इस कार्यवाही के साथ पेश है। प्रार्थीगण की इस खातेदारी मीन के उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा नायर 600 रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है। जो मौके पर अप्रार्थीगण संयुक्त भी हिस्सेदारों के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। जिसकी चालू, माबन्दी भी इस कार्यवाही के साथ पेश है। प्रार्थीगण की भूमि मौके पर आपसी हमति से अलग अलग बंटी हुई है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1606 व 007 में प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी तरफ के पड़ौसी अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 है। उक्त अप्रार्थीगण भूमि के नाप चौप एवं सीमा को लेकर के आये दिन मौके र विवाद कर रहे है तथा पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिन्हों को भी अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थर खड़े कर की जा रही तारबंदी को भी रुकवा दिया है जिस पर प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वह इस सीमा विवाद एवं नाप को लेकर मौके पर किसी भी कार का कोई विवाद नहीं करें एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर आपसी सहमति से ही पत्थरगढी करवा लेवे परन्तु अप्रार्थीगण उसमें नहीं मान रहे है एवं दिनांक 10.06.2018 को अप्रार्थीगण ने मौके पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढी करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। इस बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण तहसीलदार जी जैतारण से भी नाप चौप करने बाबत कई बार निवेदन किया तो उन्होने भी ऐसा करने से इन्कार करते हुए कथन किया कि इसके बाबत उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण से [illegible] तब ही हम इस बाबत मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढी [illegible] ऐसी स्थितियों में अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य [illegible] शेष नही रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 16 से 21 खसरा नम्बर 1606 की गमि का राहहिस्सेदार है लेकिन उनका अप्रार्थीगण से से सीधे तौर पर पड़ौसी नहीं होने की वजह से उक्त अप्रार्थीगण संख्या 16 से 21 ने इस प्रकरण में बतौर प्रार्थीगण पक्षकार के रूप में भाग लेने व कार्यवाह करने से इन्कार कर दिया है लेकिन उक्त अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...स्सेदार होने से प्रोपर व आवश्यक पक्षकार है। इसलिये उन्हें प्रफोर्मा अप्रार्थीगण ...कार के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि ...दालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में ही स्थित है तथा निम्नानुसार न्याय ...ल्क भी इस प्रार्थना पत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा ...ौके पर आपसी सहमति से नाप चौंप करने से दिनांक 10.06.2018 को स्पष्ट ...रूप से इन्कार कर देने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः ...ार्यवाही/प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र के आप श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि ...राजस्व मौजा निमाज द्वितीय पटवार हल्का निमाज द्वितीय तहसील जैतारण में ...ार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1607, 1607/1, 1607/2 कुल खसरा 03 रकबा ...2-14 बीघा व खसरा नम्बर 1606 रकबा 11-10 बीघा एवं अप्रार्थीगण संख्या ...1 से 15 व सहहिस्सेदार की भूमि खसरा नम्बर 1608 की बीच स्थित माठ का ...ाप चौप कर सीमज्ञान करवाया जावें एवं मौके पर प्रार्थीगण की भूमि का बाद नाप ...ौप के सीमांकन अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी व नेखमबंदी करवाई जाने का आदेश ...दान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को ...जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 11 से 14 की ओर से ...वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 10 तथा ...5 से 21 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कीं गई। उभयपक्ष द्वारा मुताबिक रेकॉर्ड सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करवाये जानें बाबत् सहमति प्रदान कि है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 ...स्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1607 रकबा 05-14 बीघा, खसरा नम्बर 1607/1 रकबा 05-00 बीघा व खसरा नम्बर 1607/2 रकबा 02-00 बीघा कुल खसरा 03 रकबा 12-14 बीघा की खातेदारी भूमि एवं प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 से व अप्रार्थीगण संख्या 16 से 21 की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1606 रकबा 11-10 बीघा राजस्व मौजा निमाज द्वितीय पटवार हल्का निमाज द्वितीय जैतारण में आई हुई है जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं करवाई गई है तथा बिना सीमांकन करवाये सीधे ही धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि उचित नहीं है। साथ ही प्रार्थनापत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1606 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है तथा अविभाजित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...तेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कानूनन नहीं किया जा सकता। ...र्थीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जोत की सीमा को लेकर ...स्तविक विवाद का विषय क्या है तथा ऐसा विवाद कब उत्पन्न हुआ और किन किन ...ातेदारान् के मध्य ऐसा विवाद विद्यमान है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा सभी तथ्य पूर्ण स्पष्टता के ...ाथ न्यायालय हाजा के समक्ष स्पष्ट नहीं किये है, ऐसी दशा में किसी प्रकार का ...ादेश जारी किया जाना विधिसंगत नहीं रहेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र ...स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

**–:: आदेश ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण ...ंतर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित ...हीं होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर ...िर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

...िर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested